

A-1
11.2.19

रजिस्टर्ड/ईमेल

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा./लेखा डी-4/28199/विधि/17-18/327

दिनांक :- 11/02/19

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
शिक्षा विभाग
भागौर

विषय:- चोरी, हानि, गबन, निदेशक निरीक्षण विभाग, महालेखाकार जयपुर एवं आंतरिक जाँच के बकाया प्रकरण/आक्षेपों के निस्तारण हेतु कैम्प वायत्।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक शिविरा/ माध्य/ लेखाडी-4/ 28199/ विधि/ 17-18/277 दिनांक 20.09.18 व पत्रांक 326 दिनांक 05.02.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि चोरी, हानि, गबन, निदेशक निरीक्षण विभाग, महालेखाकार जयपुर एवं आंतरिक जाँच के प्रकरण आपके कार्यालय स्तर एवं आपके अधीनस्थ शालाओं में काफी समय से लम्बित चल रहे हैं। उक्त लम्बित प्रकरणों के संबंध में संदर्भित सूची अनुसार समस्त बकाया प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु निदेशालय स्तर से श्री मुकेश यादव उप वित्तीय सलाहकार के नेतृत्व में दल गठित कर दिनांक 13.02.19 से 15.02.19 तक जिला कार्यालय में कैम्प का आयोजन किया गया है। अतः समस्त प्रकरणों की पालना रिपोर्ट आप व आपके अधीनस्थ शालाओं से पूर्ण तैयारी कर मय स्पष्ट अभिशंका के व्यक्तिगत उपस्थित रहना सुनिश्चित करावे।

1. श्रीमती प्रियंका विश्वा, लेखाधिकारी (अनु. प्रभारी लेखा डी4 व आईसीपी)
2. श्री कपिल देव जोशी, कनिष्ठ लेखाकार
3. श्री बंशीलाल जोशी, वरिष्ठ सहायक
4. श्री निर्मल ओझा, वरिष्ठ सहायक

उक्त दल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिवस को कैम्प में चोरी, गबन, हानि, निरीक्षण विभाग, आंतरिक जाँच व महालेखाकार राजस्थान, जयपुर के बकाया पैराज के निस्तारण का कार्य करेंगे।
"इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।"

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. अनुभाग अधिकारी, निदेशक निजी अनुभाग को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी अनुभाग को सूचनार्थ।
3. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को पालनार्थ।

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

समस्त CBE को मूल पत्र भेज कर लेख है कि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा चोरी, हानि, गबन के महालेखाकार आंतरिक जाँच के बकाया प्रकरणों के निस्तारण हेतु अनुसार इस कार्यालय में दिनांक 13-2-19 से 15-2-19 तक कैम्प लगाया जा रहा है। अतः आपके अधिनस्थ समस्त संस्थापकानों को पाबंद करवावे तथा दिनांक 12-2-19 को बयान दस्तवेज खाईत उपस्थित हो अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जायेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) भागौर, राजस्थान